

	<h2>कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज</h2> <p>(हवामहल के पीछे माणकचौक जयपुर)</p>	
क्रमांक :- एफ-( ) ननिजहै / DAY-NULM / 2024 / 297		दिनांक :- 11/03/2024

### कार्यालय आदेश

टाउन वेन्डिंग कमेटी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज की बैठक दिनांक 13.02.2024 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार स्ट्रीट वेन्डर्स सर्वे से वंचित रहे वेन्डरों का सर्वे पुनः चालू कर शामिल होने हेतु अवसर प्रदान किया जाना है।


अतः सर्वेकर्ता फर्म INFOMAPS चैन्सई को निर्देशित किया जाता है कि टाउन वेन्डिंग कमेटी के सदस्यों से समन्वय कर नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वे से वंचित वेन्डर्स को सर्वे में जोड़ने हेतु सर्वे प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

  
 (अभिषेक सुराणा)  
 I.A.S

आयुक्त एवं अध्यक्ष  
 टाउन वेन्डिंग कमेटी  
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज  
 दिनांक :- 11/03/2024

क्रमांक :- एफ-( ) ननिजहै / DAY-NULM / 2024 / 297  
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ,

1. निजी सहायक, महापौर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उपायुक्त DAY-NULM नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. ACP (IT) नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. श्री/श्रीमती.....सदस्य टाउन वेन्डिंग कमेटी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
7. आर.के. नन्द किशोर, प्रबन्ध निदेशक, INFOMAPS चैन्सई को भेज कर लेख है कि स्ट्रीट वेन्डर्स सर्वे से वंचित रहे वेन्डरों का सर्वे पुनः अग्रिम आदेशों तक करने का श्रम करें।
8. गार्ड फाईल।

  
 आयुक्त एवं अध्यक्ष  
 टाउन वेन्डिंग कमेटी  
 नगर निगम जयपुर हैरिटेज